न्यूनतम वेतन का चौथाई भी नहीं आशा वर्करों का मानदेय

सरकार चालीस से ज्यादा सेवाएं लेती है लेकिन केवल 15 का ही किया जाता है भुगतान

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चालीस से अधिक काम लेकिन भुगतान केवल 15 कार्यों का ही, प्रसूति के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने, कुष्ठ रोगी, टीबी रोगियों की सुश्रूषा जैसे काम करने वाली आशा वर्करों का गुस्सा बहरी सरकार के खिलाफ 18 सितंबर सोमवार को फूट पड़ा। चार हजार में दम नहीं 26000 से कम नहीं के नारों से गगन भेदती इन आशा वर्करों ने मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल पर बने रहने का संकल्प जता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को एकजुटता का संदेश भेजा।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सिटू) की राज्य के महासचिव कामरेड जयभगवान और सचिव सुनीता के नेतृत्व में फरीदाबाद, पलवल, होडल, हथीन, मेवात से आईं हजारों की संख्या में आशा वर्कर बड़खल फ्लाईओवर के नीचे पुलिस बूथ के पास इकट्ठा हो गईं। यातायात में बाधा न हो इसका ख्याल रखते हुए लाल यूनिफार्म में लाल झंडे लिए ये आशा वर्कर मोदी, खट्टर और अनिल विज के खिलाफ नारे लगाते हुए सरकारों से अपना हक लेने की हुंकार भरती रहीं।

प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सुभाष लांबा ने कहा कि जुमलों और झूठ की मोदी-खट्टर की सरकार कहती है कि आशा वर्करों को प्रतिमाह 19800 रुपये मानदेय दिया जाता है जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें हरियाणा के न्यूनतम वेतन यानी 18,260 रुपये प्रति माह के चौथाई से भी कम मात्र 4000 रुपये ही मिलता है। वर्कर बीते 42 दिन से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं, केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के बेटे देवेंद्र ने आशाओं की बात मंत्री तक पहुंचाने का वादा किया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आशा वर्कर यूनियन की फरीदाबाद जिला अध्यक्ष हेमलता ने कहा कि सरकार 40 से अधिक सेवाएं आशा वर्करों से लेती है लेकिन केवल 15 का ही भुगतान किया जाता है। शिशु के जन्म से लेकर पंद्रह महीने तक उसकी स्वास्थ्य देखभाल, पूरे टीके लगवाने के बाद ही 250 रुपये मिलते है यानी सवा साल इंतजार के बाद, इसी तरह गर्भवती महिला के प्रवस होने तक तीन बार घर पर विजिट कर उसके टीकाकरण और स्वास्थ्य रिपोर्ट देने के बाद ही 250 रुपये मिलते हैं, इससे ज्यादा धन तो बार बार विजिट करने और रिपोर्ट तैयार करने में खत्म हो जाता है।

पलवल की अध्यक्ष रामरती ने कहा कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर मंच पर भारत की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हैं उसके पीछे महज चार हजार रुपये में खटने वाली यही आशा वर्कर हैं। आशा वर्करों के कारण ही मातृ-शिशु मृत्यु दर कम हुई है, टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है, गर्भवती महिलाओं में आयरन- कैल्शियम की समस्या खत्म हुई है, बावजूद इसके हमारी जायज मांगें नहीं सुनी जा रहीं।

फरीदाबाद की जिला सचिव सुधा ने कहा कि अनिल विज कहते हैं कि देश में आशा वर्करों को सर्वाधिक चार हजार रुपये मानदेय हरियाणा में ही दिया जाता है इसलिए और नहीं बढ़ाया जा सकता। हरियाणा में तो न्यूनतम मजदूरी ही 18260 रुपये है वह भी प्रतिदिन आठ घंटे काम के लिए। आशा वर्कर तो चौबीस घंटे मुस्तैद रहती हैं बावजूद उन्हें केवल चार हजार रुपये मानदेय। इसमें भी सरकार खेल कर रही है मानदेय बढ़ाया तो इंसेंटिव राशि खत्म कर दी।

इस दौरान गुस्साई आशा वर्करों ने मर गया मोदी हाय हाय, मर गया खट्टर हाय हाय, मर गया अनिल विज हाय हाय, जोर से रोओ हाय हाय के नारे लगाकर सरकारों को कोसा।

बड़खल फ्लाईओवर के नीचे करीब एक घंटे प्रदर्शन करने के बाद लाल सैलाब केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के आवास की ओर बढ़ चला। रास्ते भर गगन भेदी नारे लगाते हुए कि आधी रोटी खाएंगे सरकार को झुकायेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, पिंक पिंक लहराएगा होश ठिकाने आएगा, इंसेंटिव नहीं वेतन दो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। चार हजार में दम नहीं 26 हजार से कम नहीं के गगनभेदी नारे लगाते हुए काफिला आगे बढ़ा तो इस लाल आंधी को देखने के लिए हर कोई ठहर गया।

पुलिस ने केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के आवास से काफी पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी थी मानो वह जन प्रतिनिधि नहीं कोई सामंत हों। सुभाष लांबा और सुनीता पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए और जबरन बैरिकेड हटवाए गए। आवास पर केंद्रीय मंत्री के पीए बाटला मिले और उन्होंने सबसे पहले तो यही नाराजगी जताई कि प्रदर्शनकारियों को मंत्री के आवास तक कैसे आने दिया गया। इसके बाद उन्होंने सुभाष लांबा को बताया कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है पार्टी व्हिप जारी होने के कारण मंत्री जी नही आ सकते, आप लोगों की बात मंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। सुभाष लांबा ने कहा कि बिना मंत्री से बात किए हम नहीं हटेंगे, फोन पर बात कराई जाए।

बाटला ने संसद में जैमर होने का हवाला देते हुए असमर्थता जताई और 22 सितंबर को आशा वर्कर यूनियन के चुने हुए प्रतिनिधिमंडल से बात कराने का वादा किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्रीय मंत्री आशा वर्करों की मांग को गंभीरता से नहीं लेंगे और टाल मटोल करते रहे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हर गांव में आशा वर्करों का दल उनके विरोध में जनता को जागरूक करने का काम करेगा। अंत में तय हुआ कि 22 सितंबर को केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अपनी बातें रखी जाएंगी, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखी जाएगी। इस मौके पर सिटू के निरंतर पाराशर, फरीदाबाद से रजनी, सुशीला चौधरी, रेखा शर्मा, पूजा गुप्ता, नीलम जोशी, चंद्रप्रभा, रजनी, संगीता, पलवल से बाला उपप्रधान, सरोज, जगवती, बब्ली आदि पदाधिकारियों के साथ हजारों आशा वर्कर मौजूद रहीं।

पुलिस मुठभेड़ में मारा गया अपराधी बब्लू

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) दिनांक 16-17 की मध्य रात्रि को क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम के साथ रात्रि गश्त के दौरान अपराधियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में पावटा निवासी 26 वर्षीय बब्लू उर्फ बलराज मारा गया।

वारदात के पीछे की कहानी को टटोलते हुए मजदूर मोर्चा को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी नरेश की हत्या मामले में नीमका जेल में बंद नेत्रपाल 15 सितंबर को जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। जेल के बाहर उसका स्वागत करने के लिए उसके गिरोह के बीसियों लोग वहां मौजूद थे।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जैसा कि अपराधी लोग करते हैं, रिहाई होने पर, कोई जीत हासिल होने पर अपने ईष्ट देव के यहां मत्था टेकने जाया करते हैं। इसी प्रथा के अनुसार ये लोग भी राजस्थान स्थित बाबा मोहन राम मंदिर की ओर गए थे। जानकार बताते हैं कि बीसियों लोगों को लेकर आठ गाड़ियों का काफ़िला उस मंदिर गया था, इसी काफ़िले में बब्लू भी था।

पुलिस बब्लू की टोह में काफी समय से थी क्योंकि वह कई केसों में बेल जंप किए हुए था। संदर्भवश बब्लू के खिलाफ डबुआ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 267/ 2023 धारा 379 बी, 452, 506, 325 और आर्म्स एक्ट, सारन थाने में मुकदमा अपराध संख्या 402/2019 धारा 379 बी, 341,427, 506, 323, 34, मुजेसर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 275/2021 धारा 395, 397, 34 व आर्म्स एक्ट और सेक्टर 58 थाने में मुकदमा अपराध संख्या 599/2018 धारा 324, 356, 452 और 34 दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ 2012 में थाना सेक्टर 55 में केस संख्या 149 दर्ज की गई थी। उसने एक किशोर का गुप्तांग ब्लेड से काट दिया था, जिसमें न्यायालय ने उसे छह महीने कारावास की सजा दी थी। वर्तमान में वह अन्य मामलों में फरार चल रहा था और वांछित था। जून 2023 के केस में पुलिस बब्लू को तलाश रही थी।

पुख्ता मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने मोहन बाबा के मंदिर पर अपनी निगरानी बढ़ाई, मुकम्मल तस्दीक हो जाने के बाद पुलिस ने सोहना के किसी स्थान पर उस गाड़ी को रोका जिसमें बब्लू का होना बताया गया था। गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस को बताया कि वह उनके साथ न आकर फलां गाड़ी में अरविंद और अनूप उर्फ छलिया के साथ आ रहा है। कुछ ही समय में पुलिस ने उस गाड़ी को भी अपने निशाने पर ले लिया और उसे रोकने का प्रयास किया। गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी गई और पुलिस के अनुसार उन पर फायर भी किया गया। पुलिस उनके पीछे लगी रही, जैसे तैसे करके बब्लू अपने गांव के निकट पहुंचने के बाद गाड़ी छोड़ कर भागने लगा तो पुलिस के मुताबिक उन्हें पास आता देख बब्लू ने फिर से पुलिस पर कट्टे से फायर किया जो पुलिस गाड़ी के बंपर पर आकर लगा, जवाब में टीम के मुखिया एसआई राकेश ने भी उसके पैरों का निशाना लेकर गोली चलाई थी जो उसकी कमर से होकर छाती से निकल गई क्योंकि वह पुलिस फायर से बचने के लिए बैठ गया था। पुलिस उसे उठा कर तुरंत बीके अस्पताल में लाई जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

अगले दिन गांव पावटा व आसपास के चंद ग्रामीण तथा मौके की तलाश में रहने वाले राजनीतिक नेता भी बीके अस्पताल में पहुंच गए। इन लोगों की मांग थी कि पुलिस के खिलाफ निहत्थे एवं बेगुनाह की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अपनी बात में वज़न डालने के लिए इन लोगों का कहना था कि बब्लू के पास न तो कोई कट्टा था न उसने फायर किया, यह तो सब पुलिस की बदमाशी है जो उसके जिम्मे अपने पल्ले से एक कट्टा डाल दिया और तो और वे तो यहां तक कहते बताए कि डाले गए कट्टे से पुलिस ने अस्पताल के पीछे जाकर दो फायर भी कर दिए। अब समझ नहीं आता कि इतना मूर्ख पुलिस वाला कौन होगा जो कट्टा भी अपने पल्ले से लगाए और फायर भी अस्पताल के पीछे जाकर करे, अगर उसे फायर ही करने होते तो कहीं और से भी कर सकता था। बहरहाल यह सब जांच का विषय है।

गांव वालों ने पुलिस एवं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मृतक का शव उठा कर तब तक दाह संस्कार करने से मना कर दिया जब तक पुलिस पर मुकदमा दर्ज न हो जाए। दो दिन की जद्दोजहद एवं बहस-मुबाहिसे के बाद दिनांक 19 सितंबर को मुकदमा नंबर 591 धारातंर्गत 302 सब इंस्पेक्टर राकेश के विरुद्ध दर्ज कर दिया गया जिसके बाद मृतक का दाह संस्कार कर दिया गया।

एफआईआर में लिखा गया है .. 'मैं रमेश गांव पावटा का निवासी हूं, मेरा इकलौता बेटा बब्लू उर्फ बल्लू उम्र 26 साल था।...कल रात लगभग 1:30 बजे के आस पास बीच गांव में मंदिर के पास सीआईए 48 इंचार्ज राकेश ने अपनी टीम के साथ मेरे बेटा बल्लू जो निहत्था था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से उठाकर ले गए। अत: प्रार्थना है कि मेरे बेटे के हत्यारों को जिन्होने मेरा बेटा बेरहमी से मार डाला और सबूतों को भी खुर्द बूर्द करने की कोशिश की, इनके खिलाफ उचित अफसरों द्वारा जांच करा सख्त से सख्त कार्रवाई कही जाए तथा मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। मेरे बेटे के हत्यारों की सख्त से सख्त सजा हो।

पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बब्लू, कई आपराधिक घटनाओं में था वांछित

पुलिस के लिए उक्त एफआईआर को झुठलाने में कहीं कोई दिक्कत आने की संभावना इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि बब्लू के साथ जो दो लोग अरविंद और अनूप उर्फ छलिया सफर कर रहे थे, पुलिस ने धारा 164 के तहत उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करा दिए हैं जो पूरी तरह से पुलिस की कहानी को बल प्रदान करते हैं।